बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय : राज्य के तीनों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों का पुनर्गठन ।

राज्य के औद्योगिकरण एवं उद्योगों के गुणात्मक विकास की दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 के अन्तर्गत छः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, यथा, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/राँची/आदित्यपुर एवं बोकारो की स्थापना की थी। राज्य के विभाजन के उपरांत उत्तरवर्ती बिहार में तीन प्राधिकार, यथा, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,पटना, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा अवस्थित है।

2. इन तीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के पृथक स्वरूप और इनके कार्यों के आलोक में भविष्य में इन्हें पुनर्गठित कर किस प्रकार इनसे बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए की समीक्षा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में गठित समिति द्वारा की गई। समिति में प्राधिकारों के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि, आय के मुख्य श्रोत, प्राप्त राजस्व, आदि पर विचार किया गया। तदोपरांत मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति ने विचार कर अपनी अनुशंसाएँ दीं।

3. उद्योग विभाग में गठित समिति एवं मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति द्वारा की गई अनुशंसाओ पर भलिभाँति विचार करते हुए राज्य सरकार ने तीनों प्राधिकारों का विलयन एवं एकीकरण करते हुए एवं, इस एकीकृत प्राधिकार को इसके मूल उद्धेश्य यथा, उद्योग के लिए आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए इसे इस संकल्प के निगर्मन की तिथि से - *''बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार''* के नाम से पुनर्गठित करनें का निर्णय लिया है।

4. पुनर्गठित *बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार* का ढांचा, उसके क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्राधिकार के अन्तर्गत रखे जाने वाले पदों की संख्या परिशिष्ट-I में अंकित है। इस प्राधिकार का मुख्यालय पटना में रहेगा एवं इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा-मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं दरभंगा होंगे। पटना का क्षेत्रीय कार्यालय अलग से नहीं होकर मुख्यालय पटना में ही कार्यरत रहेगा। ~~क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन शाखा कार्यालयों की विवरणी परिशिष्ट-II~~ में

है। इन तीनों प्राधिकारों यथा, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा के *"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार"* में विलयन एवं एकीकरण के फलस्वरूप इनकी परिसम्पतियाँ/दायित्व/ पावती/देनदारियाँ/बैंक खाता आदि स्वतः *"बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार"* में स्थानांतरित मानी जाएगी।

5. जहाँतक वर्तमान प्राधिकारों के कर्मियों के सेवा शर्त का प्रश्न है, इस संबंध में सभी कर्मियों का एक सेवा संवर्ग रहेगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप जो पद समाप्त हो जायेंगे उनके पदधारक की छंटनी नहीं होगी बल्कि वे अपने पद पर सेवा निवृत्ति/मृत्यु/पदत्याग/सेवा मुक्ति तक बने रहेंगे एवं पद रिक्त होने पर वह पद स्वतः समाप्त हो जाएँगे। प्राधिकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मियों के कार्यकलाप(performance) पर विचार करने के उपरान्त उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार का निर्णय प्राधिकार के निदेशक पर्षद की अनुमति से लिया जाएगा; लेकिन प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्राधिकार में भरे जाने वाले पदों की प्रक्रिया परिशिष्ट-III में अंकित है। एकीकृत प्राधिकार के पुनर्गठन के कारण पदों की संख्या 298 से घटकर 143 हो जाएगी(परिशिष्ट III)। जिन पदों को प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नहीं भरना है उन पदों को भरने की प्रक्रिया एवं नियम वही होंगे जो राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रभावी है। अनुबंध पर भरे जाने वाले पदों के पदधारक को वेतनमान नहीं बल्कि मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। नियत पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा।

6. प्राधिकार के प्रबंध निदेशक की तकनीकी एवं वित्तीय शक्तियां लोक निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के बराबर होगीं। कोई भी परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्राधिकार को कार्यान्वयन के लिए दिया जाता है, उसके परियोजना लागत का 5 प्रतिशत राशि प्राधिकार को प्रशासनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। प्राधिकार के आंचलिक पदाधिकारियों को ऋण वसूली के लिए "पब्लिक डिमांड रिकभरी एक्ट" के तहत सभी आवश्यक शक्तियां प्रदत्त रहेंगी। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्रों में प्राधिकार के निदेशक पर्षद द्वारा यथा अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकार को [illegible] से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्तमान में उद्योग विभाग के विभिन्न निगमों द्वारा सम्पादित किए जा रहे आधारभूत संरचना संबंधित परियोजनाओं को इस पुनर्गठित प्राधिकार को यथासंभव स्थानान्तरित कर दिया जाएगा तथा भविष्य में भी आधारभूत संरचना संबंधित सभी परियोजनाएं यथासंभव इसी प्राधिकार के माध्यम से कराई जाएगी।

7. मूल नीतिगत बिन्दुओं पर लोक उद्यम ब्यूरो की सहमति के उपरांत प्राधिकार अपने स्तर से आवश्यक निर्णय लेकर इसे कार्यान्वित कर सकेगा।

8. प्राधिकार के अधीन एक 'कोर टेक्निकल ग्रुप' के रूप में अभियंत्रण शाखा होगा। प्राधिकार अपने अधिकांश कार्य कन्सलटेंट के माध्यम से कराएगा जो अनुबंध के आधार पर होगा। इन कार्यों के तकनीकी परीक्षण, इस्टीमेट का सत्यापन आदि का कार्य ही प्राधिकार के अभियंत्रण शाखा द्वारा किया जाएगा। प्राधिकार 'टर्न की कन्सलटेंसी' के माध्यम से सुपरवीजन का कार्य भी कन्सलटेंट के माध्यम से करा सकेगी। स्थापना व्यय में कमी लाने के लिए प्राधिकार को यह शक्ति होगी कि वह कुछेक कार्य कान्ट्रेक्ट पर अन्य एजेंसियों से कराए, यथा, सुरक्षा का कार्य, सफाई का कार्य, एकाउन्ट प्रीपरेशन का कार्य, आदि।

9. इन तीनों प्राधिकार यथा, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा का *बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार* में विलयन एवं एकीकरण के फलस्वरूप तीनों प्राधिकार का निदेशक मण्डल स्वतः समाप्त हो जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाए और सभी संबंधित प्राधिकारी को अवगत कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(अशोक कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक - 2538 पटना, दिनांक - 19.06.2003

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना- 800 007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रकाशित संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

ह0/-
सचिव,उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - महालेखाकार,बिहार/झारखण्ड, पटना/राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सचिव,उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,बिहार, पटना को दिनांक 05.06.2003 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या 1 में लिए गए निर्णय के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सचिव,उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक - 2538 पटना, दिनांक - 19/6/2003

प्रतिलिपि - सचिव, वित्त विभाग,बिहार,पटना/ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,बिहार,पटना/ योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना/ अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो)विभाग,बिहार,पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर/ जिला पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर/ प्रबंध निदेशक, पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/ प्रबंध निदेशक, दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, दरभंगा/उद्योग विभाग के सभी निदेशालयों के निदेशक/सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय उद्योग निदेशालय/ विभाग के अन्य सभी पदाधिकारियों एवं विभाग के सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/03

सचिव,उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

परिशिष्ट-I

प्रशासनिक ढाँचा

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

↓

अध्यक्ष
(सचिव, उद्योग विभाग पदेन)

↓

प्रबंध निदेशक

↓

मुख्यालय

↓

प्रशासकीय शाखा

1. सचिव (वि.प्र.स.) -1
2. प्रशाखा पदा0 -1
3. सहायक -4
4. डाटाइंट्री ऑपरेटर -5
5. दिनचर्या लिपिक -1
6. आदेशपाल -10
7. रात्रि प्रहरी -1
8. चालक -2
9. सफाई सहायक -3

28

विकास शाखा

1. विकास पदा0 -1
2. सहायक विकास पदा0 -1

2

लेखा शाखा

1. मुख्य लेखा पदा0 -1
2. वरीय लेखापाल -1
3. रोकड़पाल -1
4. लेखा लिपिक -1
5. ट्रेजरी गार्ड -1

5

अभियंत्रण शाखा

1. कार्य॰अभियन्ता (सिविल) -1
2. सहा॰अभियन्ता (सिविल) -2
3. सहा॰अभियन्ता (विद्युत) -2
4. कनीय अभियन्ता (सिविल) -2
5. कनीय अभियन्ता (विद्युत) -2
6. प्रारूपक -1
7. अमीन सर्वेयर -1

11

तीन क्षेत्रीय कार्यालय*

1. कार्यकारी निदेशक -3
2. प्रशाखा पदा0 -1x3
3. सहायक -2x3
4. डाटाइंट्री ऑपरेटर -1x3
5. दिनचर्या लिपिक -1x3
6. आदेशपाल-सह-रात्रि प्रहरी -41
7. रात्रि प्रहरी -1x3
8. चालक -1x3
9. विकास पदा॰ -1x3
10. रा॰वि॰पदा॰ -1x3
11. उ॰वि॰पदा॰/ए॰मै॰ -17
12. निजी सहायक -1x3
13. ले॰लिपिक/रोकड़पाल -1x3

95

(143)

* मुख्यालय, पटना तथा तीनों क्षेत्रीय कार्यालय यथा-मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर के अधीन परिशिष्ट-II में वर्णित शाखा कार्यालय होंगे जिसके अधीन प्रत्येक शाखा कार्यालय के प्रभारी एरिया मैनेजर (5000-8000/-) होंगे और औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में एक रात्रि प्रहरी रहेगा।

परिशिष्ट-11

शाखा कार्यालय और उनका कार्य क्षेत्र

मुख्यालय, पटना के अधीन

क्रमसं0	शाखा कार्यालय का स्थान	शाखा कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण
1.	पटना	पटना एवं जहानाबाद
2.	फतुहा	फतुहा
3.	डेहरी	डेहरी, विक्रमगंज एवं बारूण
4.	गिद्धा (आरा)	गिद्धा (आरा), बक्सर एवं बिहिया
5.	गया	गया एवं औरंगाबाद
6.	बिहारशरीफ	बिहारशरीफ एवं नवादा

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर के अधीन

क्रम सं0	शाखा कार्यालय का स्थान	शाखा कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण
1.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
2.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
3.	बेतिया	बेतिया एवं रामनगर, रक्सौल
4.	हाजीपुर	हाजीपुर एवं सीवान

क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा के अधीन

क्रम सं0	शाखा कार्यालय का स्थान	शाखा कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण
1.	दरभंगा	दरभंगा एवं समस्तीपुर
2.	बेगुसराय	बरौनी, बेगुसराय एवं खगड़िया
3.	सहरसा	सहरसा एवं मुरलीगंज
4.	पंडौल	पंडौल एवं झंझारपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर के अधीन

क्रम सं0	शाखा कार्यालय का स्थान	शाखा कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण
1.	बरारी (भागलपुर)	बरारी (भागलपुर)
2.	मुंगेर	जमालपुर, लखीसराय, सीताकुंड एवं मुंगेर
3.	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, किशनगंज, फारबिसगंज एवं कटिहार

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की सं0	संभावित वित्तीय भार	अभ्युक्ति
1.	अध्यक्ष	-	01(03)	-	सचिव, उद्योग [illegible]
2.	प्रबन्ध निदेशक	15100-18300	01(03)	425000	भा0प्र0से0 के [illegible] सचिव/अपर सचिव [illegible] पदा0 प्रतिनियुक्ति पर (वर्तमान व्यवस्था में तीनों प्राधिकार में उद्योग विभाग के सं0उ0नि0 अतिरिक्त प्रभार में हैं।)
3.	कार्यकारी निदेशक	14000-18300	04(00)	1300000	प्रतिनियुक्ति अथ. अनुबन्ध पर
4.	सचिव(वि0प्र0से0)	12000-16500	01(03)	270000	प्रतिनियुक्ति पर
5.	कार्यपालक अभियंता(सिविल)	12000-16500	01(00)	270000	प्रतिनियुक्ति पर
6.	सहायक अभियंता(सिविल)	6500-10000	02(00)	320000	प्रतिनियुक्ति पर
7.	सहायक अभियंता(विद्युत)	6500-10000	02(01)	320000	प्रतिनियुक्ति पर
8.	कनीय अभियंता(सिविल)	5500-9000	02(00)	300000	प्रतिनियुक्ति पर
9.	कनीय अभियंता(विद्युत)	5500-9000	02(00)	300000	प्रतिनियुक्ति पर
10.	विकास पदाधिकारी	3000-4500	04(05)	541920	x x x
11.	सहायक विकास पदा0	2000-3800	04(11)	491520	x x x
12.	उ0वि0पदा0/एरिया मैनेजर	1400-2600	17(19)	1485460	प्रतिनियुक्ति पर
13.	प्रशाखा पदाधिकारी	2000-3500	04(05)	433920	x x x
14.	सहायक	1500-2750	10(36)	936800	x x x
15.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	1500-2750	08(00)	749440	अनुबन्ध
16.	दिनचर्या लिपिक	1200-1800	04(07)	264960	x x x
17.	मुख्य लेखा पदा0	2400-4150	01(03)	118200	x x x
18.	वरीय लेखा पदा0 पार्षद	1500-2750	01(01)	93680	प्रतिनियुक्ति पर
19.	लेखा लिपिक/रोकड़पाल	1400-2300	05(04)	436900	x x x
20.	निजी सहायक	1500-2750	06(20)	562080	प्रतिनियुक्ति पर
21.	प्रारूपक	1400-2600	01(04)	87380	प्रतिनियुक्ति पर
22.	अमीन / सर्वेयर	975-1540	01(07)	55440	प्रतिनियुक्ति पर
23.	आदेशपाल/रात्रि प्रहरी	775-1025	55(150)	2178000	(रात्रि प्रहरी अनुबंध पर)
24.	चालक	975-1540	05(15)	332640	x x x
25.	ट्रेजरी गार्ड	800-1150	01(01)	31940	x x x
		कुल :-	143(298)	123233[illegible]	x x x